



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Ltd.
(U.P. Govt. Undertaking)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U32201UP1999SGC024928
Email: <ao.admin@uppcl.org>

सं०:-I/33714/2025/जीसीएओछः/29ए/2003

दिनांक:-09-12-2025

कार्यालय-ज्ञाप

चयन वर्ष 2026-27 (अवधि 01.07.2026 से 30.06.2027 तक) के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत लेखा संवर्ग के निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-6 में अंकित तिथि के अपराहन में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे:-

क्रम संख्या	सैप आई०डी०	कर्मचारी का नाम/पदनाम/गृह जनपद/वर्तमान तैनाती कार्यालय	पिता का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	स्तम्भ-3	स्तम्भ-4	स्तम्भ-5	स्तम्भ-6
1.	14400159	श्री शशि प्रकाश सिंह/ लेखाकार/मिर्जापुर/निधि प्रबन्ध अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।	श्री बच्चन सिंह	29.08.1966	31.08.2026
2.	14400023	श्री अश्वपाल/लेखाकार/ कुशीनगर/मॉनीटरिंग सेल, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।	श्री पड़ोही	01.01.1967	31.12.2026
3.	15000154	श्री नीरज कुमार पाण्डेय/ अनुसेवक/लखनऊ/ परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, महानगर, लखनऊ।	श्री राम किशोर पाण्डे	12.12.1966	31.12.2026

4.	14600046	श्री संजीव रंजन श्रीवास्तव/लेखाकार/लखीमपुर खीरी/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।	स्व० गंगा प्रसाद श्रीवास्तव	28.06.1967	30.06.2027
----	----------	--	-----------------------------------	------------	------------

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित लेखा कार्मिकों को स्तम्भ संख्या-6 में अंकित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके लेखा कार्मिकों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये बिना नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जायें। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं लेखा कार्मिकों की विधिक जिम्मेदारी होगी।

नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सके एवं सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण की जाँच समय से करना एवं अदेयता प्रमाण पत्र इत्यादि भी निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:- I/33714/2025/जीसीएओछ:/29ए/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वित्त), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर सचिव (02), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/(वित्त), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेब साईट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अनुसचिव (स०प्र०लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (कारपोरेट टैक्स), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी (परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/अधिष्ठान सहायक।

09/12/2025
(उमेश सिंह यादव)

उप सचिव (03/04)

संख्या:- 1/33714/2025/जीसीएओछ:/29ए/2003 तद्विनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों के विभागीय आवास के संदर्भ में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें, जिससे कि लेखा कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
2. मुख्य अभियन्ता (जानपद), द्वितीय, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, नवम् तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त लेखा कार्मिकों को विभागीय आवास रिक्तता तथा अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जाँच इत्यादि यदि कोई हो तो उसकी सूचना उपलब्ध कराते हुए, प्रकरण यथा समय पूर्ण/निर्णय कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे कि लेखा कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा-महास्तार), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखा कार्मिकों को मकान/स्कूटर अग्रिम के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि लेखा कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

09/12/2025
(उमेश सिंह यादव)

उप सचिव (03/04)